न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 89/2011

जीसीएमएस नम्बर : 2011/00115

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
गोकुलराम पुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी चिरपटिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत चिरपटिया पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. तहसीलदार मारवाड जंक्शन 3. तुलसाराम पुत्र टीकम जाति बावरी निवासी चिरपटिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जुन्झाराम परमार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 08/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2011 को निरस्त कराने बाबत् पेश की है।

निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसका प्रतियुत्तर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ ही जैर निगरानी में अन्तिम बहस भी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वाद में लागु होते है जबकि यह 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत है एवं उक्त प्रार्थना पत्र किन आधारों के तहत प्रस्तुत किया है का भी अंकन नहीं किया है। राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश की जा सकती है। यह पंचायत निगरानी है जिसमें नियमानुसार कार्यवाहियों की नियमितता की जांच की जानी है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने 2011 (3) DNJ (Raj) 1066, 2010 (2) CCC 217 (Raj), 2011

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(2) DNJ (Raj) 730, 2016 (2) DNJ (Raj) 717, 2018 (2) WLN (Raj) 55 पेश कर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है।

आज्ञासूची की आदेशिका दिनांक 05.08.2011 में अंकित तथ्य गलत है क्योकि अप्रार्थी तुलसाराम के खसरे में जाने का रास्ता कदीमी से ही खसरा नम्बर 1016 की उत्तरी माठ एवं पूर्व की तरफ स्थित गादाणा मार्ग से ही आता जाता रहा है। तुलसाराम और खसरा नम्बर 1016 के खातेदार कभी भी खसरा नम्बर 1009 व 1010 में से होकर अपने खेत में नही आये और न ही न खसरों के बीच में कोई रास्ता रहा। आदेशिका दिनांक 05.08.2011 में प्रार्थी व अन्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये जबकि सम्पूर्ण आदेशिका में नोटिस जारी किये जाने के आउटवर्ड नम्बर, दिनांक इत्यादि का अंकन नहीं है। प्रार्थी को न तो कभी सुना गया और न ही कभी नोटिस दिया गया। आदेशिका दिनांक 12.08.2011 में 3 वार्ड पंचों की कमेटी नियुक्त कर प्रार्थी व अन्य को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु सम्पूर्ण आदेशिका में जारी नोटिस की रजिस्ट्री रसीद संख्या व दिनांक का अंकन नहीं है। तुलसाराम द्वारा उक्त आदेशिका में यह बताया गया कि उसकी पैतृक भूमि खसरा नम्बर 1016 में से खसरा नम्बर 1009 में भूमि रास्ते की ऐवज में दी गई जबकि इस तरह का कोई दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और अप्रार्थी ने सुखाचार हेतु उक्त रास्ते को जन्म से उपयोग में लेना बताया है परन्तु इस बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की ओर रास्ते का निर्णय पारित करवा दिया। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा धारा 251 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेकोर्ड के बाहर जाकर नया रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता औ न ही धारा 251 के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान है। आज्ञासूची आदेश के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1009 में से रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया है वह किसी भी रूप में नही खोला जा सकता और न ही रास्ता बनाया जा सकता है। सुखाचार के तहत ग्राम पंचायत को हमारी जमीन में से रास्ता देने का कोई अधिकार नहीं है उसके बावजूद अप्रार्थी को रास्ता दे दिया और उस बाबत् हमें किसी भी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया गया। अतः जैर निगरानी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.08.2011 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रकरण में गोकुलराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1009 एवं खसरा नम्बर 1017 मौजा चिरपटिया का बैचाण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.12.2015 के द्वारा कौशल्या पत्नी पोलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लूणी को कर दिया है एवं उक्त भूमि का कब्जा भी खरीदकर्ता को मौके पर सुपूर्द कर दिया गया है। साथ ही अप्रार्थी तुलसाराम व खरीदकर्ता के बीच सुलह होकर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.08.2011 की पालना में कदीमी रास्ते में किये गये अवरोधक को हटा दिया गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है एवं अब निगरानीकर्ता को भी कोई हित निहीत नहीं है। जिससे प्रकरण को चलाने का कोई औचित्य नहीं है एवं निगरानी कौन पेश कर सकता है ?

अति. जिला कलेक्टर पाली

नक्शे में दर्शित अनुसार खसरा नम्बर 1016 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1009 व 1010 के बीच की भूमि रास्ता के रूप में उपयोग में आती थी, जिसे प्रार्थी द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था। मुख्य विवाद रास्ते की भूमि का ही था तथा प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि का बैचाण कौशल्या पत्नी पोलाराम को करने पर अप्रार्थी एवं नये खातेदार के मध्य सहमति होने से उक्त रास्ते पर अवरोधक को हटा दिया गया था। अतः वर्तमान में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं होने से प्रकरण खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा –

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है

(ड.) जहां वह दो प्रतियों में फाइल नहीं की जाती

(च) जहां वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता है।

जिससे स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान वाद पर लागु होते है और यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 97 के तहत एक निगरानी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी गोकुलराम द्वारा जैर आराजी भूमि का बेचान कर दिया है इसलिये प्रार्थी को जैर निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 97 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप–समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 (2) WLN (Raj) 55 अनुसार आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करते समय केवल वाद में दिए गए कथनों की जॉच करना ही अपेक्षित है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

अति. जिला कलेक्टर पाली

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी ग्राम पंचायत चिरपटिया मिसल संख्या 08/2011–12 के आदेश दिनांक 20.08.2011 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी तुलसाराम ने खसरा नम्बर 1016 की भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बर 1009 व 1010 के मध्य आये हुए कदीमी रास्ते को खुलवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार मारवाड जंक्शन आर.टी.एक्ट. की धारा 251 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुखाचार हेतू रास्ता खुलवाये जाने बाबत् ग्राम पंचायत चिरपटिया को निर्देशित किया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत की आज्ञासूची दिनांक 12.08.2011 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर प्रार्थी गोकूलराम व अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस प्रेषित किया गया। आज्ञासूची दिनांक 20.08.2011 के द्वारा ग्राम पंचायत ने खसरा नम्बर 1016 में आने जाने हेतु सुखाचार के तहत कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 1009 व 1010 के बीचो बीच निकालने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया। पटवारी चिरपटिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1009 व 1010 के बीच में से खसरा नम्बर 1016 में आने जाने हेतू भूमि रास्ता के रूप में काम में आती थी जिसके निशानात मौके पर मौजूद है तथा धोरा लगा हुआ व खडाई की हुई है। रास्ता कदीमी, राजकीय नहीं है सुखाचार में रास्ता काम में लिया जा रहा है।

जैर निगरानी में ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पूर्णतयः पालना करते हुये नियमानुसार मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर संधारित कर पटवारी हल्का रिपोर्ट व ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों की मौका फर्द अनुसार जैर निगरानी आदेश पारित किया है। जो पूर्णतः सही एवं विधि सम्मत् है।

चूकि जैर निगरानी में मुख्य विवाद रास्ता का ही था एवं वर्तमान में प्रार्थी गोकुलराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1009 एवं खसरा नम्बर 1017 मौजा चिरपटिया का बैचाण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.12.2015 के द्वारा कौशल्या पत्नी पोलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी लूणी को कर दिया है एवं उक्त भूमि का कब्जा भी खरीदकर्ता को मौके पर सुपूर्द कर दिया गया है। साथ ही अप्रार्थी तुलसाराम व खरीदकर्ता के बीच सुलह होकर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.08.2011 की पालना में कदीमी रास्ते में किये गये अवरोधक को हटा दिया गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। जब मुख्य विवाद का ही निस्तारण हो चुका है अतः जैर निगरानी प्रकरण औचित्यहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1016 की भूमि में जाने हेतु कदीमी रास्ते को खुलवाने बाबत् तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने आर.टी.एक्ट. की धारा 251 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुखाचार हेतू रास्ता खुलवाये जाने बाबत् ग्राम पंचायत चिरपटिया को निर्देशित किया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत की आज्ञासूची दिनांक 12.08.2011 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर उभयपक्ष को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस प्रेषित किया गया। आज्ञासूची दिनांक 20.08.2011 के द्वारा ग्राम पंचायत ने सुखाचार के तहत कदीमी रास्ता

अति. जिला कलेक्टर पाली

खसरा नम्बर 1009 व 1010 के बीचो बीच निकालने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया। पटवारी चिरपटिया कि रिपोर्ट अनुसार भी यह भूमि कदीमी रास्ते के रूप में काम में आती है। जैर निगरानी में मुख्य विवाद रास्ता का ही था और वर्तमान में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का बैचाण कर दिया है और नये खातेदार व अप्रार्थी के मध्य सहमति होने से ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.08.2011 की पालना में कदीमी रास्ते में किये गये अवरोधक को हटा दिया गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। जिससे जैर निगरानी प्रकरण औचित्यहीन होने से खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 08/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर पाली
(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर. पाली